तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 22/2024**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
21.5.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी जाफर अली पुत्र अब्बास अली अगारीयां, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म होटल चौधरी पैलेस, पिण्ड़वाडा–सिरोही हाईवे, अजारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव दिनांक 25.4.2023 द्वारा फर्म होटल चौधरी पैलेस, पिण्डवाडा–सिरोही हाईवे, अजारी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी जाफर अली पुत्र अब्बास अली अगारीयां से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (मून राज ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-2098 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1199/ Act/2023/1240 दिनांक 11.5.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही होने से प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर विधि सम्मत निस्तारण किया जा रहा है। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 25.4.2023 को समय 3.00 पी.एम. पर फर्म होटल चौधरी पैलेस, पिण्डवाडा–सिरोही हाईवे, अजारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। फर्म होटल चौधरी पेलेस में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी जाफर अली पुत्र अब्बास अली अगारियां उपस्थित मिलें, जो खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (मून राज ब्राण्ड) को आम जन के खाना बनाने हेतु उपयोग में लेता है। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के खाना बनाने हेतु उपयोग में लिये जाने वाले खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (मून राज ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु ......लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला ...
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:38 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 22/2024**	नम्बर व तारीख अंहकाम जो इस हुक्म के तामिलमें जारी हुए
	नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता जाफर अली पुत्र श्री अब्बास अली अगारियां को गवाह श्री मोहम्मद इकबाल, हाल निवासी–होटल चौधरी पेलेस, पिण्डवाडा–सिरोही हाईवे, अजारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने होटल चौधरी पेलेस के अन्दर रखे हुए खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (मून राज ब्राण्ड) की 15 पैक्ड बोतलों (प्रत्येक 650 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (मून राज ब्राण्ड) की 4 पैक्ड बोतलों (प्रत्येक 650 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (मूल राज ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 260/– (अक्षरे रुपये दो सौ साठ मात्र) विक्रेता जाफर अली पुत्र अब्बास अली को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2098, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (मून राज ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (मून राज ब्राण्ड) के चारों पैक्ड बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2098 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता जाफर अली पुत्र अब्बास अली अगारियां व गवाह मोहम्मद इकबाल के हस्ताक्षर कराये तथा श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता जाफर अली पुत्र अब्बास अली अगारियां व गवाह मोहम्मद इकबाल तथा श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीव्ल्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील किया तथा फार्म नम्बर ......लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:38 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 22/2024**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म व तामिलमें जारी हुए
	VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.4.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 26.4.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म होटल चौधरी पेलेस, सिरोही–पिण्डवाडा हाईवे, अजारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता जाफर अली पुत्र अब्बास अली अगारियां से खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (मून राज ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (मून राज ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-2098 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1199/Act/2023/1240 दिनांक 11.5.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (मून राज ब्राण्ड) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (मून राज ब्राण्ड) के क्रय बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी जाफर अली पुत्र अब्बास अली अगारिया, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म होटल चौधरी पेलेस, सिरोही–पिण्ड़वाडा हाईवे, अजारी, तहसील–पिण्डवाडा, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (मून राज ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **<u>आदेश</u>** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-strandard) खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (मून राज ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी ....लगातार	

न्यायालय प्रा० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:38 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 22/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म व तामिलमें जारी हुए
	जाफर अली पुत्र अब्बास अली अगारीयां, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म होटल चौधरी पेलेस, सिरोही–पिण्डवाडा हाईवे, अजारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी जाफर अली पुत्र अब्बास अली अगारीयां, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म होटल चौधरी पेलेस, सिरोही–पिण्डवाडा हाईवे, अजारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 24.6.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:38 IST
Reason: SelfAttested